बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।

कार्यालय आदेश

पत्रांक........13........../   पटना, दिनांक........06/01/2023

उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा संचालित रिटेल आउटलेट्स अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, नई दिल्ली, बिहार इम्पोरियम, पटना एवं खादी मॉल, पटना में बिहार के शिल्पियों/वेंडरों/स्टार्ट–अप के द्वारा सामग्रियों का इनवेंटरी अवलोकन के क्रम में पाया गया है कि कुछ ही वेंडर/आर्टिजन/शिल्पी द्वारा बहुत अधिक माल की आपूर्ति की जा रही है। सरकारी आउटलेट अधिक से अधिक वेंडरों/आर्टिजनों/शिल्पियों को उपलब्ध कराने के लिए सम्यक विचारोपरान्त निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक वेंडर/आर्टिजन/शिल्पी से सामान की खरीद/बिक्री के लिए मूल्य के अनुसार अधिकतम सीमा तय की जाए।

अतः उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना द्वारा संचालित आउटलेट्स के लिए एक शिल्पी /आर्टिजन/वेंडर के लिए अधिकतम स्टॉक सीमा निम्नवत निर्धारित की जाती है –

1. अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, नई दिल्ली – 7.5 लाख प्रति वेंडर/आर्टिजन/शिल्पी
2. बिहार इम्पोरियम, पटना – 2 .5 लाख प्रति वेंडर/आर्टिजन/शिल्पी
3. खादी मॉल – 2 .5 लाख प्रति वेंडर/आर्टिजन/शिल्पी

किसी भी समय एक वेंडर का सामान रिटेल आउटलेट्स पर निर्धारित अधिकतम मूल्य सीमा से ऊपर नहीं जायेगा, बिक्री के उपरांत ही पुनः उक्त वेंडर से सामान की खरीद/उपलब्ध कराया जा सकता हैं, परन्तु किसी भी स्थिति में निर्धारित स्टॉक सीमा से अधिक न हो।

6/1/23

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

ज्ञापांक........13........../   पटना, दिनांक........06/01/2023

प्रतिलिपि– अम्बापाली बिहार इम्पोरियम, नई दिल्ली/ बिहार इम्पोरियम, पटना एवं खादी मॉल को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. स्टोर इंचार्ज, संस्थान को सूचनार्थ एवं आवशयक कार्रवाई हेतु प्रेषित।
3. सभी संबंधित कर्मी को अनुपालानार्थ प्रेषित।
4. प्रधान सचिव –सह– अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

6/1/23

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

UMSAS - 24